[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2012

आय-कर

का0आ0.2005.(अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92गग की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,-

(क) नियम 10ङ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''अग्रिम कीमत निर्धारण करार स्कीम

अग्रिम कीमत निर्धारण करार की बाबत वि-नयों में प्रयुक्त पदों के अर्थ

10च. इस नियम और नियम 10छ से नियम 10न के प्रयोजनों के लिए-

(क) ''करार'' से अधिनियम की धारा 92गग की उपधारा (1) में यथानिर्दि-ट केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से बोर्ड और आवेदक के बीच अग्रिम कीमत निर्धारण करार अभिप्रेत है ;

(ख) ''आवेदन'' से नियम 10झ के अधीन अग्रिम कर निर्धारण के लिए किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है ;

(ग) ''द्विपक्षीय करार'' से सर्वाधिक अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति और आसंनिकट कीमत के संबंध में बोर्ड और आवेदक के बीच करार तत्पश्चात् नियम 44गक में निर्दि-ट भारत के सक्षम प्राधिकारी और किसी अन्य देश के सक्षम प्राधिकारी के बीच कोई करार पर आधरित करार अभिप्रेत है ;

(घ) ''भारत का सक्षम प्राधिकारी'' से अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन हुए किसी करार की बाबत ऐसे वि-नयों के लिए कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) ''समावि-ट संव्यवहार'' से कोई अंतररा-ट्रीय संव्यवहार या ऐसे संव्यवहार अभिप्रेत हैं जिसके लिए करार किया गया है ;

(च) ''आलोचनात्मक पूर्वधारणा'' से वे आलोचनात्मक कारक और पूर्वधारणाएं अभिप्रेत हैं जो इतनी नाजुक और महत्वपूर्ण हैं कि न ही करार कर रहा कोई पक्षकार करार से आबद्ध होना जारी रखेगा यदि कोई कारक या पूर्वधारणा परिवर्तित होती है ;

(छ) ''सर्वाधिक समुचित अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति'' से संव्यवहार या संव्यवहारों के वर्ग या सहबद्ध व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले कृत्य या नियम 10ख और नियम 10ग के अधीन बोर्ड द्वारा विहित अन्य सुसंगत कारकों का ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दि-ट कोई अंतरण की कीमत निर्धारण पद्धति अभिप्रेत है जो सर्वाधिक समुचित पद्धति है ;

(ज) ''कर संधि'' से दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन कोई करार अभिप्रेत है ;

(झ) ''बहु-पक्षीय करार'' से सर्वाधिक अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति और आसंनिकट कीमत के संबंध में बोर्ड और आवेदक के बीच करार तत्पश्चात् नियम 44गक में निर्दि-ट भारत के सक्षम प्राधिकारी और किसी अन्य देश के सक्षम प्राधिकारी के बीच कोई करार पर आधरित करार अभिप्रेत है ;

(ञ) ''दल'' से ऐसे आयकर प्राधिकारी, जो अधिसूचित किए जा सकें, से बनने वाला अग्रिम कीमत निर्धारण करार दल अभिप्रेत है और इसमें अर्थशास्त्र, सांख्यिकी विधि या किसी अन्य क्षेत्र के विशे-ज्ञ सम्मिलित हैं, जो आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) द्वारा नामनिर्देशित किए जा सकें, यदि कोई हों ;

(ट) ''एकपक्षीय करार'' से बोर्ड और आवेदक के बीच कोई ऐसा करार अभिप्रेत है, जो कि न तो द्विपक्षीय करार है या न तो बहुपक्षीय करार है ;

आवेदन करने के लिए पात्र व्यक्ति

10छ. कोई व्यक्ति जिसने,-

(i) अंतररा-ट्रीय संव्यवहार किया है ; या

(ii) अंतररा-ट्रीय संव्यवहार करने के लिए ध्यानपूर्वक विचार कर रहा है,

इन नियमों के अधीन करार करने के लिए पात्र होगा ।

फाइल करने से पूर्व परामर्श

10ज. (1) इन नियमों के अधीन निर्धारण करार करने के लिए प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लिखित में आवेदन द्वारा फाइल करने से पूर्व परामर्श के लिए अनुरोध करेगा ।

(2) फाइल करने से पूर्व परामर्श के लिए अनुरोध आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) प्ररूप संख्या 1 में किया जाएगा ।

(3) प्ररूप सं0 3 सीईसी में अनुरोध के प्राप्त होने पर दल, नियम 10छ में संदर्भित व्यक्ति से फाइल करने से पूर्व परामर्श करेगा ।

(4) भारत का सक्षम प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एपीए अंतर्वलित करते हुए, फाइल करने से पूर्व परामर्श से सहबद्ध होंगे ।

(5) फाइल करने से पूर्व, अन्य बातों के साथ ये बातें होंगी-

(i) करार के क्षेत्र का अवधारण ;

(ii) अंतरण कीमत निर्धारण मुद्दों की पहचान ;

(iii) किसी करार के लिए अंतरर‍ा-ट्रीय संव्यवहार की उपयुक्तता का निर्धारण ;

(iv) करार के विस्तृत निबंधनों की चर्चा ;

(6) फाइल करने से पूर्व परामर्श-

(i) करार कर रहे या करार की प्रक्रिया आरंभ कर रहे किसी बोर्ड या व्यक्ति पर आबद्ध नहीं होगा ;

(ii) इससे यह नहीं समझा जाएगा कि व्यक्ति ने करार करने के लिए आवेदन किया है ।

अग्रिम कीमत निर्धारण करार के लिए आवेदन -

10झ.(1) कोई व्यक्ति, जिसने नियम 10ज में यथानिर्दि-ट फाइल करने से पूर्व परामर्श किया है, यदि वह करार करने के लिए इच्छुक है तो वह अपेक्षित फीस के साथ प्ररूप सं0 3 सीईडी में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) एकपक्षीय करार की दशा में, आवेदन आयकर महानिदेशक (अंतरर‍ा-ट्रीय कराधान) को प्रस्तुत किया जाएगा और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में भारत के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) प्ररूप सं0 3 सीईडी में आवेदन किसी समय नियम 10छ में संदर्भित व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकता है-

(i) उन संव्यवहारों की बाबत, जो व्यवहार्य से जारी प्रकृति हैं, और जो पहले से ही हो रहे हैं पहले निर्धारण व-र् से सुसंगत पूर्वव-र् के पहले दिन के पूर्व ; या

(ii) शे-ा संव्यवहारों की बाबत संव्यवहार करने से पूर्व ।

(4) प्ररूप सं0 3 सीईडी में प्रत्येक आवेदन उपनियम (5) में यथा विनिर्दि-ट फीस के संदाय के सबूत के साथ होगा ।

(5) संदेय फीस, उसकी बाबत जिसको करार प्रस्तावित है किए जाने के लिए या प्रस्तावित किए जाने के लिए अंतरर‍ा-ट्रीय संव्यवहार की रकम पर आधारित निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी :

एपीए की प्रस्तावित अवधि के दौरान, जिसकी बाबत करार प्रस्तावित है, किए जाने के लिए या प्रस्तावित किए जाने के लिए अंतरर‍ा-ट्रीय संव्यवहार की रकम	फीस
सौ करोड़ रुपए से अनधिक रकम	10 लाख
दो सौ करोड़ रुपए से अनधिक रकम	15 लाख

दो सौ करोड़ रुपए से अधिक रकम	20 लाख

करार आवेदन की वापसी

10ञ. (1) आवेदक करार के निबंधनों के अंतिम होने से पूर्व किसी भी समय करार के लिए आवेदन को वापस ले सकेगा ।

(2) वापसी के लिए आवेदन प्ररूप 3 सीईई में किया जाएगा ।

(3) संदत्त फीस का आवेदक द्वारा आवेदन के वापस लिए जाने पर प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

आवेदन की प्रारंभिक प्रक्रिया

10ट. (1) प्ररूप सं0 3 सीईडी में फाइल किया गया प्रत्येक आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होगा और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ होगा ।

(2) यदि प्ररूप सं0 3 सीईडी के आवेदन में कोई त्रुटि जानकारी में आती है या यदि कोई सुसंगत दस्तावेज इससे संलग्न नहीं किया गया है या आवेदन नियम 10ज में निर्दि-ट परामर्श से पूर्व, फाइल करने की सहमति के अनुसार नहीं है तो आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) (एकपक्षीय करार के लिए) और भारत का सक्षम प्राधिकारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास की समाप्ति से पूर्व आवेदक को कमी बताने वाले एक पत्र की तामील करेगा ।

(3) आवेदक कमी बताने वाले पत्र की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जिसको इस निमित्त आवेदन बढ़ाया गया था या बढ़ाया जा सकता है, आवेदन की कमी को दूर कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा, तथापि कमी को दूर किए जाने या उपांतरण की कुल अवधि तीस दिन से अधिक न हो ।

(4) यथास्थिति, आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) या भारत के सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाने पर, यह उपबंध करते हुए आदेश पारित कर सकेगा कि आवेदन को अग्रेनित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि,-

आवेदन त्रुटिपूर्ण है और उपनियम (3) के अनुसार आवेदक द्वारा त्रुटि को दूर नहीं किया गया है ।

(5) उपनियम (4) के अधीन कोई आदेश, आवेदक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा और यदि कोई आवेदन अग्रसर होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त फीस का प्रतिदाय किया जाएगा ।

प्रक्रिया

10ठ. (1) यदि दल या भारत के सक्षम प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि के साथ अग्रसर होने के लिए नियम 10ट में निर्दि-ट आवेदन को अनुज्ञात किया जाता है तो इस नियम के उपबंधों के अनुसार आवेदक से परामर्श और चर्चा करके उसे अग्रसरित किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए यह दल या भारत के सक्षम प्राधिकारी या इसके प्रतिनिधि के लिए यह सक्षम होगा कि वह-

(i) ऐसे समय और तारीख को आवेदक के साथ बैठक करे जो वह ठीक समझे ;

(ii) आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज या सूचना या सामग्री के लिए मांग करे ;

(iii) आवेदक के कारबार परिसर का दौरा करे ; या

(iv) ऐसी जांच करे जो मामले की परिस्थितियों में वह ठीक समझे ।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, आवेदक यदि वह विचार करता है कि यह आवश्यक है तो वह दल या भारत के सक्षम प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि के विचार के लिए और दस्तावेज और सूचना प्रदान कर सकेगा।

(4) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए, सक्षम प्राधिकारी, आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) को आवेदन अग्रेनित करेगा जो दलों में से किसी एक को सौंपेगा ।

(5) दल जिसको उपनियम (4) के अधीन आवेदन सौंपा गया है, जांच का क्रियान्वयन करेगा और प्रारूप रिपोर्ट तैयार करेगा जो आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) द्वारा भारत के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेनित की जाएगी ।

(6) यदि आवेदक ने अपने आवेदन में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए अनुरोध किया है तो भारत का सक्षम प्राधिकारी इस नियम में उपबंधित प्रक्रिया के अतिरिक्त नियम 44छक में उपबंधित प्रक्रिया का अवलंब लेगा ।

(7) आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) (एकपक्षीय करार के लिए) या भारत का सक्षम प्राधिकारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) और आवेदक नियम 44छक के उपनियम (5) में निर्दि-ट ठहराव के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए, उपनियम (1) में निर्दि-ट प्रक्रिया के परिणाम की गणना करते हुए प्रस्तावित पारस्परिक सहमति प्रारूप करार तैयार करेंगे जिसे उक्त नियम के उपनियम अनुसार आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है ।

(8) बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा इसके अनुमोदन किए जाने के पश्चात् आवेदक के साथ करार किया जाएगा ।

(9) एक बार जब करार कर दिया जाता है तो, यथास्थिति, आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) या भारत का सक्षम प्राधिकारी, ऐसे आयुक्त जिसकी अधिकारिता निर्धारिती पर है, उसे करार की प्रति भिजवाएगा ।

करार के निबंधन

10ड. (1) किसी करार में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(i) करार द्वारा समावि-ट अंतररा-ट्रीय संव्यवहार ;

(ii) सहमत अंतरण कीमत निर्धारण वर्गीकरण, यदि कोई है ;

(iii) संनिकट कीमत का अवधारण, यदि कोई है ;

(iv) मद (ii) या मद (iii) में प्रयुक्त किए जाने वाले किसी सुसंगत निबंधन की परिभा-ना ;

(v) आलोचनात्मक पूर्वधारणा ;

(vi) वे शर्तें यदि वे अधिनियम या इन नियमों में दिए गए से भिन्न हैं ।

(2) करार बोर्ड या निर्धारिती पर बाध्यकर नहीं होगा यदि आलोचनात्मक पूर्वधारणा में कोई परिवर्तन है या ऐसी शर्तों को पूरा करने में चूक है जिसके अध्यधीन करार किया गया है ।

(3) करार का आबद्ध प्रभाव तभी समाप्त होगा यदि किसी पक्षकार ने संबद्ध अन्य पक्षकार या पक्षकारों को सम्यक् रूप से सूचना दे दी है ।

(4) यदि आलोचनात्मक पूर्वधारणाओं में कोई परिवर्तन है या उन शर्तों को पूरा करने में कोई चूक है, जिसके अधीन करार किया गया है तो करार को, यथास्थिति, पुनरीक्षित किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है ।

(5) निर्धारिती जिसने करार किया है, आलोचनात्मक पूर्वधारणाओं में ऐसा कोई परिवर्तन या ऐसी शर्तों को पूरा करने में कोई चूक के लिए लिखित में सूचना, आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) को जहां तक ऐसा करना व्यवहार्य हो, देगा ।

(6) बोर्ड, निर्धारिती को आलोचनात्मक पूर्वधारणा में ऐसे परिवर्तन या ऐसी शर्तों को पूरा करने में चूक के लिए लिखित में सूचना देगा, जैसे ही यह बोर्ड की जानकारी में आता है ।

(7) करार का पुनरीक्षण या रद्दकरण क्रमशः नियम 10थ और नियम 10द के अनुसार होगा ।

आवेदन में संशोधन

10ढ. (1) आवेदक, करार के निबंधन के अंतिम होने से पूर्व किसी प्रक्रम पर आवेदन में कोई संशोधन करने के लिए लिखित में अनुरोध कर सकेगा ।

(2) आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) (एकपक्षीय करार के लिए) या भारत का सक्षम प्राधिकारी (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए) आवेदन में संशोधन अनुज्ञात कर सकेगा, यदि ऐसे संशोधन का, आवेदन की प्रकृति में किए गए किसी परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है जो मूल रूप से फाइल की गई थी ।

(3) संशोधन को प्रभावी तभी किया जाएगा जब यह नियम 10झ में यथाउपबंधित फीस के अनुसार ऐसे संशोधन द्वारा अतिरिक्त फीस के साथ हो, यदि यह आवश्यक हो ।

वार्निक अनुपालन रिपोर्ट की प्रस्तुति

10ण. (1) निर्धारिती एक वार्निक अनुपालन रिपोर्ट आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) को करार में समावि-ट प्रत्येक व-र् के लिए करेगा ।

(2) वार्निक अनुपालन रिपोर्ट प्ररूप सं0 3 सीईएफ में होगी ।

(3) वार्निक अनुपालन रिपोर्ट उस व-र् के लिए आयकर विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख के तीस दिन के भीतर या करार करने के नब्बे दिन के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, करार में समावि-ट प्रत्येक व-र् के लिए चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) वार्निक अनुपालन रिपोर्ट की एक प्रति भारत के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा, एक प्रति उस आयकर आयुक्त को भेजेगा जिसकी निर्धारती के आयकर निर्धारण के पर अधिकारिता है और एक प्रति अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी को भेजेगा जिसकी निर्धारिती पर अधिकारिता है ।

करार के अनुपालन की संपरीक्षा

10त. (1) निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाला अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी करार के अधीन आने वाले प्रत्येक व-र्ा के लिए करार के अनुपालन की संपरीक्षा करवाएगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए अंतरण कीमत अधिकारी निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा -

(i) अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी करार के निबंधनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए करदाता से अपेक्षा करेगा जिसमें, महत्वपूर्ण अवधारणाओं, सहायक डाटा या जानकारी की शुद्धता और अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति को लागू करने की सतता सम्मिलित है ।

(ii) निर्धारिती यह साबित करने के लिए कि करार के निबंधनों का अनुपालन किया गया है कोई सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा करेगा ।

(3) अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी, आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) को एकपक्षीय करार के मामले में और भारत के सक्षम प्राधिकारी को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के मामले में उसमें यह उल्लेख करते हुए कि करार के निबंधनों में करदाता द्वारा अनुपालन के वि-ाय में उसके नि-कर्-ा हैं, करार में समावि-ट प्रत्येक व-र्ा के लिए लेखापरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(4) आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान) बोर्ड को उस मामले में जहां करार के निबंधनों के अनुपालन में करदाता की ओर से किसी चूक का नि-कर्-ा है और करार का रद्दकरण अपेक्षित है, रिपोर्ट अग्रेनित करेगा ।

(5) लेखापरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट उस मास की समाप्ति से छह मास के भीतर, जिसको अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 10ण में निर्दि-ट वार्नि-क अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होती है, प्रस्तुत की जाएगी ।

(6) अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा समावि-ट संव्यवहारों की नियमित संपरीक्षा नहीं की जाएगी यदि नियम 10ठ के अधीन कोई करार किया गया है सिवाय वहां के जहां करार को नियम 10द के अधीन रद्द कर दिया गया है ।

करार का पुनरीक्षण

10थ. (1) किसी करार में प्रवि-ट होने के पश्चात् किसी करार का इस नियम के अनुसरण में बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण किया जा सकेगा, यदि,-

(क) महत्वपूर्ण अवधारणा में कोई परिवर्तन है या ऐसी किसी शर्त को पूरा करने में असफलता जिसके अधीन रहते हुए करार किया गया है ;

(ख) विधि में कोई परिवर्तन जो करार द्वारा समावि-ट किसी मामले को उपांतरित करता है किन्तु ऐसी प्रकृति का नहीं है जो करार को आबद्धकर नहीं बनाता है ; या

(ग) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में किसी अन्य देश के सक्षम प्राधिकारी से करार के पुनरीक्षण का अनुरोध है ।

(2) किसी करार का बोर्ड द्वारा स्वप्रेरणा से या निर्धारिती या भारत में सक्षम प्राधिकारी या महानिदेशक आयकर (अंतररा-ट्रीय कराधान) के अनुरोध पर पुनरीक्षण किया जा सकेगा ।

(3) निर्धारिती के अनुरोध पर करार के पुनरीक्षण के प्रस्ताव के सिवाए, करार का तब तक पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारिती को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है और निर्धारिती प्रस्तावित पुनरीक्षण से सहमत है ।

(4) कर दाता के प्रस्तावित पुनरीक्षण से सहमत न होने की दशा में करार को नियम 10द के अनुसरण में रद्द किया जा सकेगा ।

(5) बोर्ड के निर्धारिती के करार के पुनरीक्षण के अनुरोध से सहमत न होने की दशा में, बोर्ड अनुरोध को रद्द करने के कारण लिखित में देते हुए रद्द कर देगा ।

(6) प्रस्तावित पुनरीक्षण के लिए सहमति के प्रयोजन के लिए नियम 10ठ में उपबंधित प्रक्रिया को, जहां तक हो सके, लागू किया जाएगा ।

(7) पुनरीक्षित करार में उस तारीख को शामिल किया जाएगा जिस तक मूल करार को लागू होना है और वह तारीख जिससे पुनराक्षित करार को लागू होना है ।

करार को रद्द करना

10द (1) किसी करार को बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किसी कारण से रद्द किया जाएगा

(i) नियम 10त में निर्दि-ट अनुपालन संपरीक्षा के परिणामस्वरूप यह पता चलना कि निर्धारिती करार के निबंधनों का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है ;

(ii) निर्धारिती समय पर वार्-िक अनुपालन रिपोर्ट फाइल करने में असमर्थ रहा है ;

(iii) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत वार्-िक अनुपालन रिपोर्ट में तात्विक त्रुटियां अंतर्वि-ट हैं; या

(iv) करार को नियम 10थ के उपनियम (5) के अधीन रद्द किया जाना है ।

(2) बोर्ड करार को रद्द करने की कार्यवाही करने से पहले निर्धारिती को सुने जाने का अवसर देगा ।

(3) भारत में सक्षम प्राधिकारी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेगा और करार को प्रस्तावित रद्द करने के कारण से संसूचित करेगा ।

(4) करार के रद्द करने का आदेश लिखित होगा और करार के रद्द करने के और निर्धारिती के निवेदन, यदि कोई हो, को अस्वीकार करने के कारणों को दर्शाएगा ।

(5) करार को रद्द करने के आदेश में करार को रद्द करने की प्रभावी तारीख को भी, जहां लागू हो, विनिर्दि-ट किया जाएगा ।

(6) अधिनियम के अधीन करार को कपट या दुर्व्यपदेशन के तथ्यों को गणना में लेते हुए प्रारंभतः शून्य घोनित करने का आदेश लिखित होगा और ऐसी घो-णा करने के कारणों और निर्धारिती के निवेदन, यदि कोई हो, को उसमें उपदर्शित किया जाएगा ।

(7) रद्द करने के आदेश से निर्धारिती के ऊपर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी और अंतरण मूल्य अधिकारी को संसूचित किया जाएगा ।

करार का नवीकरण

10ध करार के नवीकरण का अनुरोध, नए आवेदन के रूप में, इन नियमों में दी गई उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए, सिवाए नियम 10ज में निर्दि-ट फाइल करने के पूर्व परामर्श के सिवाए किया जा सकेगा ।

प्रकीर्ण

10न (1) इन नियमों के अधीन केवल किसी करार के लिए आवेदन फाइल करना अधिनियम के अध्याय 10 के प्रचालन को उस अध्याय के अधीन सन्निकट मूल्य के अवधारण से तब तक निवारित नहीं करेगा जब तक कि करार नहीं कर लिया जाता है ।

(2) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की दशा में भारत में सक्षम प्राधिकारी और अन्य देश या देशों में सक्षम प्राधिकारी के बीच बातचीत भारत और अन्य देश या देशों की कर संधि के उपबंधों के अनुसरण में की जाएगी ।";

(ख) मूल नियम के नियम 44छ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम कीमत निर्धारण करारों से बरतने के लिए प्रक्रिया

44छक. (1) जहां किसी व्यक्ति ने नियम 4 के अनुसरण में करार-2 प्ररूप में द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अग्रिम कीमत निर्धारण करार के लिए अनुरोध किया है, तो अनुरोध से इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बरता जाएगा ।

(2) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार की प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक भारत से बाहर स्थित सहबद्ध उद्यम ने उस देश के सक्षम प्राधिकारी के साथ अग्रिम मूल्य करार की प्रक्रिया आरंभ न कर दी हो ।

(3) भारत में सक्षम प्राधिकारी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए आवेदक के अनुरोध की सूचना प्राप्त होने पर, यथास्थिति, उस देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करेगा और उनकी सहमति का इस प्रयोजन के लिए बातचीत आरंभ करने से पहले पता लगाएगा ।

(4) यथास्थिति, अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी की सहमति की दशा में भारत में सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त बातचीत करेगा और ऐसे निबंधनों पर पहुंचने का प्रयास करेगा जो यथास्थिति, भारत में सक्षम प्राधिकारी तथा अन्य देश में सक्षम प्राधिकारी को स्वीकार्य हों ।

(5) परामर्श के पश्चात् सहमति की दशा में भारत में सक्षम प्राधिकारी यथास्थिति अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के साथ एक पारस्परिक करार प्रकिया प्रबंध को अंतिम रूप देगा और इससे आवेदक को सूचित करेगा ।

(6) उपनियम 4 में वर्णित पक्षकारों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ऐसे निबंधनों पर समझौता करने में असफल रहने की दशा में, आवेदक को उस देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के साथ समझौता करने में असफलता से सूचित किया जाएगा ।

(7) आवेदक भारत में सक्षम प्राधिकारी और, यथास्थिति, अन्य देश या देशों के सक्षम प्राधिकारी के बीच बातचीत में भाग लेने का हकदार नहीं होगा ; तथापि आवेदक किसी अग्रिम कीमत निर्धारण करार में प्रवि-ट होने के प्रयोजन के लिए भारत में सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकेगा या मिल सकेगा ।

(8) आवेदक उसे संसूचित करने के तीस दिन के भीतर करार पर अपनी स्वीकृति या अन्यथा बताएगा ।

(9) आवेदक, करार के स्वीकार्य न होने की दशा में अपने विकल्प पर पारस्परिक करार प्रक्रिया के अभिलाभों के बिना अग्रिम कीमत निर्धारण करार में प्रवि-ट होने की प्रक्रिया को जारी रखेगा या नियम 10ञ के अनुसरण में आवेदन को वापस लेगा ।'';

(ग) मूल नियमों के परिशि-ट 2 में, प्ररूप सं. 3गङख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

''प्ररूप सं.3सीईसी
(नियम 10ज का उपनियम (2) देखें)
फाइल करने से पूर्व बैठक के लिए आवेदन

सेवा में,
महानिदेशक आयकर (अंतररा-ट्रीय कराधान)
नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

मैं अग्रिम कीमत निर्धारण करने के लिए आवेदन का प्रस्ताव करता हूं, इस संबंध में फाइल करने से पूर्व बैठक के लिए निम्नलिखित आवश्यक विशि-टियां देता हूं :

1. आवेदक की विशि-टियां :

    क. आवेदक का पूरा नाम :

    ख. स्थाई लेखा संख्यांक:

    ग. आवेदक का पता:

    घ. भारत में कारबार उद्यम की अवस्थिति (यां) :

    ङ. आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे:

    च. संपर्क के लिए पता:

    छ. उस व्यक्ति का ई-मेल और संपर्क संख्या जिससे पत्राचार किया जाना अपेक्षित है

2. आवेदक के समूह का वैश्विक ढांचा और वह उद्योग जिसमें वह प्रचालन करता है :
3. सहबद्ध उद्यमों (एई) के नाम जिनके साथ अंतररा-ट्रीय संव्यवहार या किए गए हैं या किए जाने के लिए आशयित हैं :
4. उस देश (शों) का नाम जिनमें सहबद्ध उद्यम अवस्थित हैं :
5. कारबार मॉडल और पूर्ववर्ती तीन व-ाँ में आवेदक के कारबार प्रचालनों का सिंहावलोकन

6. आवेदक और सहबद्ध उद्यमों का कृत्यकारी और जोखिम प्रोफाइल:

7. (क) करार में आने वाले प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के ब्यौरे:

(ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अंतरण मूल्य लेखा परीक्षा के अधीन आने वाले अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों का मूल्य :

8. करार के अधीन न आने के लिए प्रस्तावित अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के ब्यौरे :

9. प्रस्तावित करार का प्रकार:

(क) क्या आप एकपक्षीय करार का प्रस्ताव कर रहे हैं : हां/नहीं

(ख) यदि हां तो उसके कारण:

(ग) क्या आप द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार का प्रस्ताव कर रहे हैं: हां/नहीं

(घ) यदि हां तो उन देशों का नाम जिनके साथ जिनमें सहबद्ध उद्यम अवस्थित हैं:

10. वर्षों की संख्या जिनके लिए करार के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव है:

11. इस्तेमाल की जाने वाली प्रस्तावित अंतरक मूल्य विधि के साथ समर्थनकारी दस्तावेज:

12. तृतीय पक्ष तुलनीय की पहचान:

13. सन्निकट मूल्य या लाभ स्तर उपदर्शक के ब्यौरे:

14. महत्वपूर्ण अवधारणाओं के ब्यौरे जिन्हें आवेदक मानता है कि कारबार या अंतरक मूल्य विधि के प्रभावित कर सकते हैं:

15. सक्षम प्राधिकारी के मुद्दे, अनुरोधों और समझौतों का इतिहास:

16. अंतरक मूल्य लेखा परीक्षा, निर्धारण और अपीलों की वर्तमान प्रास्थिति का इतिहास:

17. फाइल करने से पूर्व विचार-विमर्श के लिए प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने वाले प्रतिनिधियों का नाम और पदनाम:

कोई अन्य सुसंगत सूचना :

मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य कथित की गई है ।

भवदीय,

स्थान :

तारीख :

आवेदक

टिप्पण

1. आवेदन तीन प्रतियों में ही किया जाना है ।

2. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर दिए जाने के लिए स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक संलग्नक का इस्तेमाल किया जा सकेगा । इन संलग्नकों को आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।

3. किसी अनाम आधार पर फाइल करने से पूर्व बैठक के लिए अनुरोध की दशा में आवेदक या सहबद्ध उद्यमों का कोई नाम नहीं दिया जाना है ।

4. करार में आने के लिए प्रस्तावित सभी अंतररा-ट्रीय संव्यवहारों के ब्यौरों के संबंध में कृपया सहबद्ध उद्यम यदि कोई हों के साथ अंतररा-ट्रीय संव्यवहारों के करारों के साथ-साथ इन संव्यवहारों को करार के अंतर्गत लाने के कारणों को भी प्रस्तुत करें ।

5. आवेदक द्वारा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए आवेदन की दशा में आवेदक यह कथन भी करे कि क्या भारत का इन देशों के साथ विद्यमान समग्र डीटीएए है । यह भी सत्यापित किया जाना चाहिए कि क्या ऐसे देश में कोई करार कार्यक्रम है ?

6. फाइल करने से पूर्व अनाम अनुरोध की दशा में आवेदक के प्रतिनिधियों के ब्यौरे, जो फाइल करने से पूर्व विचार-विमर्श के लिए प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होंगे, प्रस्तुत किए जाने हैं ।

"प्ररूप सं. 3सीईडी
(नियम 10झ का उपनियम (1) देखें)
अग्रिम कीमत निर्धारण करार के लिए आवेदन

सेवा में,
सक्षम प्राधिकारी, भारत
या
आयकर महानिदेशक (अंतररा-ट्रीय कराधान)
नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

मैं .... (आवेदक का नाम) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ करार पर बातचीत करने का इच्छुक हूं । मैं इसके साथ आवश्यक विशि-टियां प्रस्तुत कर रहा हूं :

I. साधारण

1. आवेदक की विशि-टियां :

   क. आवेदक का पूरा नाम :

   ख. स्थाई लेखा संख्यांक:

   ग. आवेदक का पता:

   घ. संपर्क के लिए पता:

   ङ. भारत में कारबार उद्यम की अवस्थिति (यां) :

   च. उस व्यक्ति का ई-मेल और संपर्क संख्या जिससे पत्राचार किया जाना अपेक्षित है:

छ. प्राधिकृत प्रतिनिधियों का नाम और पता जो करार पर बातचीत के लिए प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होंगे:

2. क्या आवेदक ने फाइल करने से पूर्व चर्चा की इच्छा की है ? यदि हां तो प्रस्तुत करें :

क. फाइल करने से पूर्व बैठक के लिए आवेदन की तारीख:

ख. करार दल के साथ फाइल करने से पूर्व बैठक (कों) की तारीख:

3. सहबद्ध उद्यमों (एई) के नाम जिनके साथ करार का अनुरोध किया गया है :

4. उस देश (शों) का नाम जिनमें ऊपर 3 में वर्णित सहबद्ध उद्यम अवस्थित हैं:

5. (क) क्या आप एकपक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए आवेदन कर रहे हैं:	एकपक्षीय/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय
(ख) यदि आप द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो क्या सहबद्ध उद्यम ने अपने निवास के देश में सक्षम प्राधिकारी के पास करार के लिए आवेदन किया है:	हां/नहीं

(ग) यदि हां तो अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसा आवेदन करने का साक्ष्य संलग्न करें :

(घ) यदि नहीं तो किस तारीख तक अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करने का प्रस्ताव है

(ङ) यदि आवेदन एकपक्षीय करार के लिए है और ऐसे निकाय के साथ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार अंतर्वलित हैं जिसके साथ भारत का दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए अधिनियम की धारा 90 या 90क के अधीन करार है तो कृपया स्पष्टीकरण दें कि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए अनुरोध क्यों नहीं किया गया है :

6. आवेदक द्वारा संदत्त फीस की विशिष्टियां :	रकम रुपयों में चालान सं. तारीख
7. प्रस्तावित एपीए की अवधि उस तारीख सहित जिससे एपीए का लागू होना चाहा गया है :	
8. एपीए में समाविष्ट किए जाने वाले प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के ब्यौरे (उस संपत्ति या सेवाओं का विवरण जिससे प्रस्तावित एपीए संबंधित है) :	
9. प्रस्तावित अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति (यां) :	
10. एपीए के लिए प्रस्तावित निर्बन्धन और शर्तें और समालोचनात्मक धारणाएं :	
11. आवेदक और सहयुक्त उद्यम का इतिहास और पृष्ठभूमि :	
12. कारबार और उत्पादों/सेवाओं का साधारण वर्णन :	
13. मुख्य संव्यवहार प्रवाह सहित बहुराष्ट्रीय संरचना, संगठनात्मक प्रबंध, कार्यचालन संबंधी गठन :	

14. बहुरा-ट्रीय उद्यम के अन्य सभी संव्यवहार प्रवाहों की पहचान करना (परिमाण, निदेश और रकम) जो समावि-ट संव्यवहारों के कीमत निर्धारण का समाघात करें :

15. प्रत्येक सत्ता के लिए फलनिक करेंसी और वह करेंसी जिसका उपयोग एपीए के अधीन समावि-ट किए जाने वाले प्रस्तावित संव्यवहारों के लिए किया गया है :

16. लेखा और लागत प्रणाली, नीतियां, प्रक्रियाएं और व्यवहार जिसके अंतर्गत ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय और कर लेखा मतभेद भी है जो टीपीएमएस को प्रभावित करें :

II कृत्यकारी विश्ले-ाण

17. आवेदक और सभी सुसंगत सत्ताओं का समावि-ट संव्यवहारों की बाबत ब्यौरेवार फलनिक विश्ले-ाण :

18. कारबार युक्तियां - प्रस्तावित एपीए द्वारा समावि-ट भावी कालावधि के लिए चालू और भावी बजट विवरण प्रक्षेप और कारबार योजनाए, साधारण कारबार और उद्योग रुख भावी निदेश/कारबार युक्ति जिसके अंतर्गत आर एंड डी, उत्पादन और विपणन भी है :

19. वित्तीय और प्रचालन सूचना जिसके अंतर्गत निगम वार्नि‍क रिपोर्टें भी है (कृपया प्रतियां संलग्न करें)

क. पूर्व पांच व-र्ाों या नवीनतम कारबार चक्र के लिए यथा विनियोजित समेकित और असमेकित आधार पर वित्तीय विवरण (प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पूर्व नवीनतम कालावधि के लिए अंतरिम विवरण भी दें) :

ख. पूर्व तीन व-र्ाों के लिए आयकर विवरणियां और संबद्ध समर्थक अनुसूचियां जिसके अंतर्गत प्ररूप 3गड़ख भी है :

ग. पूर्व पांच व-र्ाों या नवीनतम कारबार चक्र के लिए यथा विनियोजित उत्पाद रेखा खंड इकाई और भौगोलिक क्षेत्र द्वारा विभाजित प्रचालन आंकड़े (सकल और शुद्ध) :

20. सुसंगत विपणन और वित्तीय अध्ययन (कृपया प्रतियां संलग्न करें) :

21. सभी सुसंगत अंतर-कंपनी करारों की प्रतियां (कीमत निर्धारण, लागत हिस्सेदारी, लाइसेंसिंग, वितरकता) (कृपया प्रतियां संलग्न करें) :

III. उद्योग और बाजार विश्ले-ाण

22. ब्यौरेवार उद्योग विश्ले-ाण :

क. उद्योग के साथ ही साधारण रूप से स्वीकृत औद्योगिक और वाणिज्यिक व्यवहारों का व्यापक वर्णन :

ख. प्रतियोगियों जिसके अंतर्गत क्रमिक बाजार हिस्सेदारी भी है, की पहचान और साधारण रूपरेखा :

ग. उद्योग और साधारण कारबार सांख्यिकी, वित्तीय अनुपात और विश्ले-ाण/अध्ययन :

घ. सफलता के समालोचनात्मक कारक :

23. अंतर्वलित सभी देशों के बाजारों के ब्यौरेवार विश्ले-ाण :

IV. अंतरण कीमत निर्धारण पृ-ठभूमि

24. क. भारतीय विधि

ख. विदेशी विधि

ग. भारत और दूसरे देश के बीच आयकर संधि

के अनुसार सुसंगत विधिक बातों और अपेक्षाओं की चर्चा :

25. पिछले तीन व-र्ों के दौरान समावि-ट संव्यवहारों या कारबार चक्र के लिए यथा विनियोजित आवेदक और सहयुक्त उद्यमों द्वारा उपयोग में लाई गई अंतरण कीमत निर्धारण पद्धतियों, नीतियों और व्यवहारों की चर्चा :

26. सुसंगत विनिर्णयों, एपीएएस/बीएपीएस/एमएपीएस और आवेदक (या उसके सहयुक्त उद्यम) और भारतीय या विदेशी कर प्रशासकों द्वारा किए गए अंतरण कीमत निर्धारण या अन्य मूल्यांकन आधारों या अन्य कर मामलों के लिए विदेशी कर प्रशासकों के साथ किए गए अन्य समरूप प्रबंधों की चर्चा :

27. सुसंगत भारतीय आयकर संपरीक्षा, अपील, न्यायिक और सक्षम प्राधिकारी इतिहास की चर्चा :

28. सुसंगत विदेशी आयकर संपरीक्षा, अपील, न्यायिक और सक्षम प्राधिकारी इतिहास की चर्चा :

29. अनिर्धारित कराधान व-र्ों (भारतीय और विदेशी) और संबंधित बकाया कर, विधिक और अन्य संबद्ध विवाद्यकों की चर्चा :

V. अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति का विश्ले-ाण

30. समस्त सूचना दीजिए जिसके अंतर्गत भारतीय आयकर विधि में यथा

अंतर्वि-ट अंतरण कीमत निर्धारण विनियमों के अनुसार प्रस्तावित टीपीएम की समुचितता सिद्ध करने के लिए आवश्यक ब्यौरेवार विश्ले-ण और स्प-टीकरण भी है:

31. प्रत्येक अनुप्रयुक्त या अस्वीकृत समावि-ट संव्यवहार के लिए प्रत्येक अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति की चर्चा और उसका विश्ले-ण । विशि-ट रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत आंतरिक तुल्यों का ब्यौरा दें (ऐसी धारणाओं, युक्तियों और नीतियों को उपदर्शित करें जो प्रत्येक टीपीएम की स्वीकृति और अस्वीकृति को प्रभावित करें) :

32. चयनित टीपीएमएस और द्वितीय टीपीएमएस, यदि किसी स्वस्थचित्तता जांच के रूप में प्रयुक्त किए गए हों, का संक्षिप्त विवरण :

VI. प्रस्तावित अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति का समाघात

33. तीन पूर्व व-र्ों के प्रचालनों या नवीनतम कारबार चक्र के लिए समावि-ट संव्यवहारों के लिए प्रस्तावित टीपीएमएस का आवेदन और चर्चा के परिणाम :

34. उस समयावधि के लिए, जिसके लिए आवेदक एपीए को समावि-ट करना चाहता है, प्रस्तावित टीपीएमएस का आवेदन और चर्चा के परिणाम :

35. धारा IV में अनुप्रयुक्त अवधि में अंतर, यदि कोई हों, की चर्चा और अनुमान :

मैं, यह घो-णा करता हूं कि आवेदन में दी गई सूचना मेरी समस्त जानकारी और विश्वास में सही और सत्यकथित है ।

भवदीय

आवेदक

स्थान :

तारीख :

टिप्पणी : 1. द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एपीए आवेदन सक्षम प्राधिकारी अर्थात् संयुक्त सचिव एफटी एंड टीआर-1, नई दिल्ली के समक्ष तीन प्रतियों में फाइल किए जाएंगे ।

2. एकपक्षीय एपीए आवेदन महानिदेशक, आयकर (अंतर्रा-ट्रीय कराधान) नई दिल्ली के समक्ष तीन प्रतियों में फाइल किए जाएंगे ।

3. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाए तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नक लगाया जा सकता है । ये संलग्नक आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

4. फीस, नियम 4 के उपनियम (5) के अनुसार संगणित की जाएगी ।

5. आवेदन के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे ।

प्ररूप संख्या - 3 सीईई
(नियम 10ञ का उपनियम (2) देखिए)
एपीए निवेदन को वापस लेने के लिए आवेदन

सेवा में,

भारतीय सक्षम प्राधिकारी
या
महानिदेशक, आयकर (अंतर्रा-ट्रीय कराधान), नई दिल्ली ।

महोदय/महोदया

यह कथन किया जाता है कि ....(करदाता का नाम) ने ....तारीख/ महीना/वर्-ा को एकपक्षीय/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एपीए के लिए आवेदन फाइल किया था । नीचे दिए गए कारणों से आवेदन एतद्द्वारा वापस लिया जाता है :

....
....

....

मैं, यह घो-ाणा करता हूं कि आवेदन वापस लेने की बाबत दी गई सूचना मेरे संपूर्ण जानकारी और विश्वास में सही और सत्य कथित है और मैं पूर्णतः यह समझता हूं कि मेरे द्वारा आयकर नियमों के नियम 4 के अधीन सदंत्त फीस वापस नहीं की जाएगी ।

आपका नि-ठापूर्वक

आवेदक

स्थान :
तारीख :

टिप्पणी :

1. वापस लेने का आवेदन तीन प्रतियों में फाइल करना चाहिए ।

2. वापस लेने का आवेदन उस प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा जिसके समक्ष एपीए के लिए आवेदन किया गया था ।

3. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाए तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नक लगाया जा सकता है । ये संलग्नक आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए ।

प्ररुप संख्या 3 सीईएफ

(नियम 10ण का उपनियम (2) देखिए)

अग्रिम कीमत निर्धारण करार पर वार्न्कि अनुपालन रिपोर्ट

सेवा में,

महानिदेशक आयकर (अंतररा-ट्रीय कराधान)
नई दिल्ली ।

महोदय/महोदया,

मैं, ...तारीख/ महीना/वर्न् से आरंभ होकर ....तारीख/ महीना/वर्न् तक की अवधि के लिए ....(करदाता का नाम)..................और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बीच एपीए निर्देश संख्या ....तारीख.....................द्वारा हुए अग्रिम कीमत निर्धारण करार के लिए वार्न्कि अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं । इस बाबत मैं आवश्यक सूचना नीचे दे रहा हूं :

1. करदाता की विशिन्टियां :

क. करदाता का पूरा नाम :

ख. स्थायी खाता संख्या :

ग. करदाता का पता :

घ. पत्रव्यवहार का पता :

ङ. ईमेल आईडी और पत्राचार के लिए व्यक्ति के संपर्क के लिए नंबर :

2. किए गए एपीए का प्रकार :

क. क्या आपने एकपक्षीय एपीए या द्विपक्षीय एपीए या बहुपक्षीय एपीए किया है ?
एकपक्षीय/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय

ख. यदि आपने द्विपक्षीय एपीए या बहुपक्षीय एपीए किया है तो उस देश / उन देशों का / के नाम दीजिए जिसके/ जिनके साथ एपीए किया है ।

3. सहयुक्त उद्यम / उद्यमों का /के नाम जिसके / जिनके साथ वर्न्ष के दौरान अंतरर-ट्रीय संव्यवहारों का जिम्मा लिया गया है ।

4. समावि-ट संव्यवहारों के ब्यौरे :

क. समावि-ट संव्यवहार की प्रकृति :
ख. समावि-ट संव्यवहार की रकम :
ग. अंतर्वलित देश :
घ. सहमत अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति :
ङ. सहमत लाभ स्तर सूचक :
च. प्राप्त वास्तवित परिणाम :
छ. अपेक्षित समायोजन :
ज. आयकर विवरणी में समायोजन, यदि कोई है, को किस प्रकार दर्शाया गया है :

5. क्या -
क. ठीक पूर्ववर्न्ष :
ख. उस प्रथम वर्न्ष के ठीक पूर्व का वर्न्ष जिसमें एपीए लागू होता है :

करदाता के कारबार प्रतिमान में कोई परिवर्तन हुआ है ?

6. क्या -
क. ठीक पूर्ववर्न्ष :
ख. उस प्रथम वर्न्ष के ठीक पूर्व का वर्न्ष जिसमें एपीए लागू होता है :

की तुलना में चालू वित्तीय वर्न्ष में करदाता और सहयुक्त उद्यमों के फलनिक और जोखिम रुपरेखा में कोई परिवर्तन हुआ है :

7. अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति :

क. एपीए में सहमत हुए :

ख. एपीए के अंतर्गत आने वाले अंतररा-ट्रीय संव्यवहारों की आसन्निकट कीमत को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए व-र् के दौरान अनुसरण किया :

ग. ऊपर क और ख के बीच अंतर, यदि कोई हो :

घ. अंतरों के कारण :

8. समालोचनात्मक धारणाएं :

क. एपीए में सहमत हुए :

ख. क्या व-र् के दौरान समालोचनात्मक धारणाएं अनुरुप रही या समालोचनात्मक धारणाओं में कोई परिवर्तन हुआ :

ग. समालोचनात्मक धारणाओं के अनुरुप नहीं रहने या समालोचनात्मक धारणाओं में परिवर्तन के कारण :

9. क्या करदाता समूह की संगठनात्मक संरचना में कारबार के समामेलन, अर्जन, विलयन, अविलयन या विक्रय की रीति से या किसी अन्य रीति से कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो कृपया उसका संपूर्ण ब्यौरा दें और एपीए में सहमत समालोचनात्मक धारणाओं पर उसका समाघात दर्शाएं :

10. एपीए में सहमत सभी अन्य निर्बन्धनों और शर्तों को विनिर्दि-ट करें और ये दर्शाएं कि क्या उनका पालन किया गया है । पालन नहीं करने की दशा में उसके कारण दे :

मैं, यह घो-णा करता हूं कि मैंने संलग्न दस्तावेजों सहित एपीए वार्-िक अनुपालन रिपोर्ट में अंतर्वि-ट सूचना को देख लिया है और मेरे संपूर्ण ज्ञान और विश्वास में रिपोर्ट में प्रस्तुत तथ्य और संलग्न दस्तावेज सत्य, व्यापक और ठीक है ।

भवदीय

करदाता का नाम

स्थान :

तारीख :

टिप्पणी :

1. वार्-िक अनुपालन रिपोर्ट चार प्रतियों में फाइल की जाएगी ।

2. वार्-िक अनुपालन रिपोर्ट एपीए के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व-र् के लिए फाइल की जाएगी, प्रत्येक व-र् के लिए पृथक् रिपोर्ट फाइल की जाएगी ।

3. ऊपर मद संख्या 4 में ''समावि-ट संव्यवहार'' से संबंधित सूचना का प्रत्येक समावि-ट संव्यवहार के लिए अलग से दिया जाना अपेक्षित है ।

4. कृपया अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति और सन्निकट कीमत की संगणना को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए एपीए में यथासहमत समस्त दस्तावेज संलग्न करें ।''

[अधिसूचना सं. 36/2012 / फा.सं.133/5/ 2012-एसओ (टीपीएल)]

(आशी-ा कुमार)
निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से आयकर (9वा संशोधन) नियम, 2012 अधिसूचना सं. का.आ. 1979(अ) तारीख 28.8.2012 द्वारा संशोधित किए गए ।